राजस्व लोक अदालत अभियान,
न्याय आपके के द्वार, 2017
न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

प्रकरण संख्या 26/11 तारीख रजू 10/01/2011

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री सदरूदीन पुत्र श्री सिराजुदीन जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी घोसी मौहल्ला शहर सवाई माधोपुर । ---गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 14/07/2017

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री सदरूदीन पुत्र श्री सिराजुदीन जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी घोसी मौहल्ला शहर सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क्र.स.	मु0नं0	धारा	दर्ज दिनांक	चार्ज शीट नं0	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1	353/09	13 आरपीजीओं	27/07/09	239	31/07/09	सजा दिनांक 08/09/09
2	547/09	13 आरपीजीओं	17/11/09	377	25/11/09	सजा दिनांक 09/12/09
3	273/10	13 आरपीजीओं	23/06/10	174	30/06/10	पैण्डिगं कोर्ट

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। गैरसायल जुआ में लिप्त रहकर स्थानीय भोले भाले सीधे साधे लोगों को तास के पत्तों पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

धन लगाने के लिए उकसाकर तथा हार जीत तास के पत्तों के आधार पर दाव पर लगाकर जुआ खेलता है तथा गैरसायल ने इस जुआ बाजी को अपनी आमदनी का पैसा बना लिया है। जो अवैध कार्य में लगाकर दो बार सिद्व दोष हो चुका है। गैरसायल को इसके निवास स्थान शहर सवाई माधोपुर में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिए घातक है। गैरसायल बार–बार दोष सिद्व होने के बाबजूद अपने आचरण में कोई सुधार नहीं कर विधि के डर से बेखोफ हो गया है। अतः उक्त गैर सायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा एक्ट की धारा 2 के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3 के तहत उसके विरूद्व विधिक कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट की प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक व असालतन उपस्थित आया। श्री सदरूद्दीन पुत्र श्री सिराजुद्दीन जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी घोसी मौहल्ला शहर सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल जुआ में लिप्त रहकर स्थानीय भोले भाले सीधे साधे लोगों को तास के पत्तों पर धन लगाने के लिए उकसाकर तथा हार जीत तास के पत्तों के आधार पर दाव पर लगाकर जुआ खेलता है तथा गैरसायल ने इस जुआ बाजी को अपनी आमदनी का पैसा बना लिया है। जो अवैध कार्य में लगाकर दो बार सिद्व दोष हो चुका है। गैरसायल को इसके निवास स्थान शहर सवाई माधोपुर में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिए घातक है। गैरसायल बार–बार दोष सिद्व होने के बाबजूद अपने आचरण में कोई सुधार नहीं कर विधि के डर से बेखोफ हो गया है। अतः उक्त गैर सायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा एक्ट की धारा 2 के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3 के तहत उसके विरूद्व विधिक कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गैरसायल के विरूद्व राजनैतिक द्वेषता व रंजित वंश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। जिनमें गैरसायल को दो प्रकरणों में संबंधित न्यायालय के द्वारा लोक अदालत की भावना से अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए उन्मुक्त किया गया है एवं एक प्रकरण वर्तमान में भी न्यायालय में पैण्डिगं है। सायल ने उक्त इस्तगासा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। जबकि गैरसायल को दो मुकदमें में ही द्वोष सिद्व किया गया है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसालय ने गैरसायल खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हु कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। लेकिन सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल को दो मुकदमें में ही दोषसिद्ध किया गया है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध सिद्व न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/7/17

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर